ओ0पी0 सिंह,
भा0पु0से0

डी0जी0 परिपत्र संख्याः
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1, तिलक मार्ग, लखनऊ-226001
दिनांकः लखनऊः अप्रैल 19, 2019

प्रिय महोदय,

कृपया आप सभी भलीभांति अवगत है कि विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं में सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण बनाये रखने हेतु मेरे महत्वपूर्ण परिपत्र संख्याः डीजी-दस-वि0प्र0-रिट-मिस(291)/2018, दिनांक 12.07.2018 के माध्यम से आप सभी को शैक्षिक संस्थाओं में संस्था प्रमुख व उनके सहयोगियों के साथ सामन्जस्य बैठाकर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था कराने तथा शैक्षिक सुचिता सुनिश्चित कराते हुए किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न होने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये है।

मेरे परिपत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है किः-

'Universities are the temple of modern India. They are the protective spaces for the promotion of democratic ideals, of social imagination, and civic values. They are trusted upon to educate and produce intelligent, compassionate, critically engaged citizens fully aware of the fact that without informed and educated citizens, there will be no law and order.
Students need to feel safe in order to learn, and therefore, it is necessary that we have discipline, law and order, a friendly environment of teaching and learning at all educational institutions.
The basic requirement is determination of good learning environment in these Institutions.'

इतने स्पष्ट निर्देश के पश्चात भी दिनांक 15.04.2019 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीसीबी छात्रावास में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई, जिस पर मा0 मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सू-मोटो संज्ञान लेते हुए यह संज्ञानित किया है किः-

'The Allahabad University is one among the most prestigious Universities in entire country with a glorious past. The University has produced finest academicians, scholars and jurist. But a prominent centre of education appears to have now been captured by the criminals and the University Administration appears to be a silent spectator only.
In a democratic society, rule of law is to prevail and any harm to that cannot be accepted in any manner. No-one can be allowed to cause even a minor injury to the peace and tranquility of the area and the inhabitants thereof.'

एतद्द्वारा आप लोगों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं के संस्था प्रमुख एवं कुलानुशासक से समन्वय स्थापित करते हुए सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी के निकट पर्यवेक्षण में इन शैक्षणिक संस्थाओं तथा छात्रवासों की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था हेतु कार्य योजना बनाकर नियमित रूप से स्वयं अनुश्रवण करते रहें जिससे कि आपराधिक प्रवृत्ति के कोई भी तत्व शैक्षिक संस्थाओं/छात्रावासो में अतिक्रमण कर शैक्षिक वातावरण व्यवधानित न कर सकें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने सूचना तंत्र को इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दें कि शैक्षणिक संस्थाओं एवं छात्रावासों में अनाधिकृत रूप से रह रहें आपराधिक तत्वों की सूचना संकलित करते हुए संस्था प्रमुख व कुलानुशासक से समन्वय स्थापित करते हुए समय-समय पर निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें जिससे इस प्रकार की अप्रिय एवं दुखद घटना की पुनरावृत्ति प्रदेश में कहीं भी न हो सके, यदि इस प्रकार की कहीं कोई घटना घटित होती है तो वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी उत्तरदायी अधिकारी बिना किसी विलम्ब के प्रभावी कार्यवाही करते हुये कानून-व्यवस्था व्यवस्थित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

कृपया आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय,
(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद,(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से कि अपने निकट पर्यवेक्षण में इसका पालन सुनिश्चित करायें

1-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

[illegible] उत्तर प्रदेश।

Scanned by CamScanner